

बिक्री सूचना संपत्तियों की ई-नीलामी- "परिशिष्ट- IV - ए (नियम 8(6) और 9(1) देखें)"

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अंतर्गत अचल संपत्तियों की ई-नीलामी रखी गई है। इस सूचना के द्वारा आम जनता और विशेषकर ऋणी, बंधककर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित दृष्टिबंधक / गिरवी / बंधक चल / अचल संपत्तियों जो कि प्रतिभूति लेनदार के पास हैं, जिनका सांकेतिक / भौतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है कि बिक्री निम्नवर्णित खातों में वसूली के लिए ई-नीलामी द्वारा "जो है जहां है", "जो है जैसी है" एवं "जो कुछ भी है" के आधार पर रखी गई है। कर्जदारों/जमानतदारों/सिक्केड एसेट्स/बकाया/आरक्षित मूल्य/ई-नीलामी की तारीख, समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.	ऋणकर्ता/जमानतदार(ओं) बंधककर्ता(ओं) का विवरण नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण के साथ बैंक की जानकारी में कोई अधिभार नहीं है. (सभी में)	कुल बकाया राशि दिनांक 13(2) सूचना के अनुसार	1. प्रारक्षित मूल्य 2. ब्याना एवं 3. बोली वृद्धि राशि	कब्जे का स्वरूप भांग सूचना दिनांक कब्जा दिनांक
01	1. मेसर्स फाइबर एंड फाइबर, प्रोप. श्रीमती शोभना बैद पति श्री संतोष कुमार बैद, एस-7 टेक्सटाइल मार्केट, पंडरी, रायपुर (छत्तीसगढ़) (492001) 2. श्रीमती शोभना बैद पति श्री संतोष कुमार बैद (प्रोप.) सी- 402 यूफोरिया अपार्टमेंट रिलायंस मॉल के पीछे, विधानसभा रोड, मोवा, रायपुर (492001), 3. श्रीमती शोभना बैद पति श्री संतोष कुमार बैद (प्रोप.) मेसर्स फाइबर एंड फाइबर की प्रोपराइटर, निवासी जी - 404, अशोका हाइट्स, मोवा, रायपुर (छ.ग.), 4. श्री मोहम्मद फैक (जमानतदार) विवेकानन्द वार्ड नं 05, स्टेशन रोड, गोबरा नवापारा, राजिम (छ.ग.)- 498332	साम्यिक बंधक पट्टे पर ली गई फैक्ट्री भूमि एवं भवन (सभी चल शेड सहित) स्थित प्लॉट नं- 352-353, उरला इंडस्ट्रियल एरिया, क्षेत्रफल- 30000 वर्गफीट है जो मेसर्स फाइबर एंड फाइबर प्रोप. श्रीमती शोभना बैद पति श्री संतोष कुमार बैद के नाम पर है.	रु. 2,19,17,000.00 + ब्याज + अन्य प्रभार	रु. 1,23,00,000.00 रु. 12,30,000.00 रु. 10,000.00	सांकेतिक कब्जा 23.05. 2022 28.07. 2022

उधारकर्ताओं/बंधक-कर्ताओं को 15/30 दिन का बकाया सूचना-उपरोक्त उधारकर्ताओं/बंधकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र में उल्लेखित राशि को मय ब्याज एवं खर्चों के नीलामी से पूर्व जमा करवा दे अन्यथा बंधक रखी संपत्ति की नीलामी उत्पन्न दर्शायी गई दिनांक को कर दी जावेगी, उसके पश्चात् शेष राशि के लिए अलग से वसूली की जावेगी।

ई-नीलामी की तिथि एवं समय 21.05.2026, दोपहर 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक एवं संपत्ति निरीक्षण करने की तिथि एवं समय 18.05.2026 दोपहर 1.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक। बिक्री संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> एवं ऑनलाइन ई-नीलामी पोर्टल <https://baanknet.com> में दिये गये लिंक का संदर्भ लें। भावी बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी से फोन 7987058185 पर भी संपर्क कर सकते हैं।